न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(पीठ)

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या–04 / 2008–09 अन्तर्गत धारा–220 भू–राजस्व अधिनियम

श्री सोमपाल आदि
–बनाम–
नगर पालिका परिषद, हरिद्वार

कोरम :
1.श्री सुनील कुमार मुट्टू, आई0ए0एस0,अध्यक्ष
2.श्री पी0एस0 जंगपांगी, आई0ए0एस0, सदस्य(न्यायिक)

प्रस्तुतकर्ता अधिवक्तागण :

प्रार्थी की ओर से : श्री ललित कुमार उपाध्याय।
प्रतिवादी की ओर से : श्री एस0पी0 त्यागी।

बावत
खेवट संख्या–426, गाटा संख्या–1234 रकबा 2–9–0 बीघा
मौजा–ज्वालापुर, जिला हरिद्वार।

निर्णय

यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र सोमपाल पुत्र अभयराम, निवासी गुधाल रोड, ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार आदि ने विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा निगरानी संख्या–55 / 2002–03 नगर पालिका परिषद, हरिद्वार बनाम प्रेम कुमार आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 27–08–2008 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

हमने मूल निगरानी पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता पुनर्विलोकनकर्ता की बहस सुनी। मूल निगरानी पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुनर्विलोकनकर्तागण न तो निगरानी में पक्षकार हैं और ना ही अवर न्यायालय के मूल वाद में पक्षकार हैं। यह तथ्य अधिवक्ता पुनर्विलोकनकर्ता को भी स्वीकार है जबकि भू–राजस्व अधिनियम की धारा–220(2) में स्पष्ट प्राविधान है कि "परिषद अपने द्वारा अथवा अपने किसी सदस्य द्वारा न्यायिक रूप से पारित आज्ञप्ति (Decree) आदेश का परिषद द्वारा इस प्रकार पुनर्विलोकन नहीं किया जायेगा, जब तक कि मामले का कोई पक्षकार आज्ञप्ति या आदेश पारित किये जाने के 90 दिन के भीतर ऐसा करने के लिए आवेदन पत्र न दे। "

उपरोक्त से स्पष्ट है कि पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र सिर्फ वाद के पक्षकार ही प्रस्तुत कर सकते हैं। जहाँ तक अधिवक्ता पुनर्विलोकनकर्तागण का कथन है कि उन्होंने अवर न्यायालय में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तो यदि अवर न्यायालय

उन्हें पक्षकार नहीं बनाता है तो उस आदेश के विरूद्व वे सक्षम न्यायालय में निगरानी वाद प्रस्तुत कर सकते हैं।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के अनुसार पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किया जाता है।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

(सुनील कुमार मुट्टू)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 27/01/15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित ।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।